



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29052023-246141
CG-DL-E-29052023-246141

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2254]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 29, 2023/ज्येष्ठ 8, 1945

No. 2254]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 29, 2023/JYAISHTHA 8, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2023

सं. 08/2023

विषय : आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) को वित्त अधिनियम, 2023 (2023 की सं. 8) दिनांक 31.03.2023 और विदेश व्यापार नीति, 2023 के समकालिक बनाने के संबंध में।

का.आ. 2351(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा 'आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-I (आयात नीति)' को वित्त अधिनियम, 2023 (2023 की सं. 8) दिनांक 31.03.2023 के समकालिक बनाने हेतु निम्नानुसार संशोधित करती है—

2. वित्त अधिनियम, 2023 की समकालिकता में आईटीसी (एचएस) कोड 2022 में शामिल किए गए/हटाए गए/संशोधित किए गए/विभाजित किए गए/विलय किए गए आईटीसी (एचएस), कोडों और संबंधित नीतिगत शर्तों की सूची इसके साथ (अनुलग्नक I) संलग्न है।

3. वित्त अधिनियम, 2023 की समकालिकता में आईटीसी (एचएस) कोड की खंड टिप्पणियों, अध्याय वार मुख्य टिप्पणियों, पूरक टिप्पणियों, अध्याय शीर्षक, उपशीर्षक और विवरण में संशोधन इसके साथ (अनुलग्नक II) संलग्न है।

4. विदेश व्यापार नीति, 2023 की समकालिकता में संशोधित आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के तहत आईटीसी (एचएस) विशिष्ट नीतिगत शर्तों और अध्याय विशिष्ट नीतिगत शर्तों की सूची इसके साथ (अनुलग्नक III) संलग्न है।

5. आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) में 'एफटीपी (2015-20)' के किसी भी उल्लेख को 'एफटीपी 2023' के रूप में संशोधित कर पढ़ा जाए।

6. अद्यतित आईटीसी (एचएस) 2022, डीजीएफटी की वेबसाइट (<https://dgft.gov.in>) पर उपलब्ध होगा।

इस अधिसूचना का प्रभाव: आईटीसी (एचएस) 2022, (अनुसूची-I) आयात नीति को वित्त अधिनियम 2023 और विदेश व्यापार नीति 2023 के समकालिक संशोधित किया गया है। यह तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/27/एम-21/पीसी-2(ए)/पार्ट-I/ई-31913]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार
और पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th May 2023

No. 08/2023

Subject : Syncing of ITC (HS), 2022- Schedule-1 (Import Policy) with Finance Act 2023 (No.8 of 2023) dated 31.03.2023 and Foreign Trade Policy, 2023 -reg.

S.O. 2351(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (as amended from time to time) read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy 2023, the Central Government hereby amends 'ITC (HS) 2022, Schedule-I (Import Policy)' in sync with the Finance Act 2023 (No.8 of 2023) dated 31.03.2023 as follows -

2. The List of ITC(HS) codes and related Policy Conditions inserted/deleted/amended/split/merged under ITC(HS) 2022, Schedule-I (Import Policy) in sync with the Finance Act, 2023 is annexed herewith (Annexure-I).
3. The amendments in the Section Notes, Chapter-wise Main Notes, Supplementary Notes, Chapter heading, sub-headings and description of ITC (HS) codes in sync with the Finance Act, 2023 are annexed herewith (Annexure-II).
4. The List of ITC(HS) specific Policy conditions and Chapter specific Policy Conditions under ITC(HS) 2022, Schedule-I (Import Policy) amended in sync with Foreign Trade Policy 2023 is annexed herewith (Annexure-III).
5. Any references to 'FTP (2015-20)' in the ITC(HS) 2022, Schedule-I (Import Policy) are revised to be read as 'FTP 2023'
6. The updated ITC (HS) 2022 shall be available on the website of DGFT (<https://dgft.gov.in>).

Effect of this Notification: ITC (HS) 2022, (Schedule-I) Import Policy is amended in sync with the Finance Act, 2023 and Foreign Trade Policy, 2023. This shall come into force with immediate effect.

This issues with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No.01/89/180/27/AM-21/PC-2[A]/Part-I/E-31913]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade
& Ex-officio Addl. Secy.